भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.*13

01.12.2025 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण का प्रभाव

***13. डॉ. नामदेव किरसानः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर और विशेषकर सर्दियों के महीनों के दौरान जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है;

(ख) क्या दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि और संसाधनों का पर्याप्त उपयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो धनराशि के कम उपयोग के क्या कारण हैं और क्या जवाबदेही हेतु कोई उपाय शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त सरकार की प्रभावी और सुदृढ़ नीतियां न होने के कारण वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है, यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"वायु प्रदूषण का प्रभाव" के संबंध में डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 01.12.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *13 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ):

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन में बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की स्थापना की है, जो एनसीआर और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम, 2021 के तहत स्थापित है। अधिनियम के तहत, आयोग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधार करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को उपाय करने और निर्देश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे का सभी प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए सामूहिक, सहयोगात्मक और सहभागी तरीके से समाधान किया है। आयोग ने अब तक क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में विभिन्न कार्यों को विशेष रूप से मार्गदर्शन और निर्देशित करने के लिए 95 वैधानिक निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय मानकों की तुलना में, आयोग ने एनसीआर में विभिन्न प्रदूषणकारी गतिविधियों के लिए बहुत सख्त उत्सर्जन मानदंड बनाए हैं। इन निर्देशों के कार्यान्वयन की समय-समय पर प्रगति समीक्षाओं, अनुवर्ती आदेशों और समय-समय पर निर्देशों को जारी करके सख्तीपूर्वक निगरानी की जाती है।

आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) बनाया है, जो वायु प्रदूषण के स्तर की गंभीरता के अनुसार, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों का एक सेट प्रदान करता है। इसे दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के चरम महीनों के दौरान आमतौर पर बनी रहने वाली वायु प्रदूषण की स्थिति को कम करने के लिए अभिज्ञात एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा।

दैनिक आधार पर आईएमडी (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) / आईआईटीएम (भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम-विज्ञान संस्थान) द्वारा प्रदान किए गए डायमिनिक मॉडल और मौसम पूर्वानुमान के आधार पर, दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के समग्र मौसमी स्थितियों और मानवीय गतिविधियों के आधार पर उस चरण के अनुमानित स्तर तक पहुंचने की आशंका से जीआरएपी के चरण I, II, III और IV के तहत कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी जाती है।

आयोग ने हाल ही में मौजूदा जीआरएपी की रूपरेखा की व्यापक समीक्षा की है और जीआरएपी के विभिन्न चरणों के तहत कारवाईयों को और अधिक कड़ा कर दिया है। जीआरएपी में हाल के संशोधनों का विवरण **अनुलग्नक I** में संलग्न है।

दिल्ली-एनसीआर और निकटवर्ती के क्षेत्रों में पराली जलाने से संबंधित मुद्दों सहित वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की सरकार ने नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की है। हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण बैठकें इस प्रकार हैं:

i. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मुद्दों पर माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2025, 16.09.2025, 10.10.2025 और 11.11.2025

को नियमित समीक्षा बैठकें हुईं, जिनमें वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को बेहतर बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

ii. फसल अवशेष जलाने के प्रबंधन के विषयों पर माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की सह-अध्यक्षता में 7 अक्टूबर, 2025 को मंत्रियों की अंतर-मंत्रालयी बैठक हुई।

समीक्षा बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिए गए: दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण कम करने के उपायों को लागू करने के लिए और अन्य महत्वपूर्ण उपाय जैसे निर्माण धूल और गाद जमाव को हटाने के लिए कामगार लगाना, जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्यों के नगर निगम के सभी वार्डों में 'सेवा सप्ताह' का आयोजन करना, प्रतिबंधित वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग और एएनपीआर कैमरे लगाना, एकीकृत अपशिष्ट संग्रह और प्रबंधन योजना बनाना, गड्ढों वाले हिस्सों की पहचान कर उनकी मरम्मत करना, सड़कों पर शुरू से अंत तक फुटपाथ बनाना, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के लिए फीडर केंद्र, सी एंड डी अपशिष्ट से पुनर्चक्रित उत्पादों की खपत बढ़ाने के उपाय, बड़े निर्माण स्थलों की निगरानी, 20-60 फीट चौड़ी सड़कों के साथ-साथ 20 फीट से कम चौड़ी सड़कों के लिए मशीनीकृत सड़क सफाई, दिल्ली में 62 पहचाने गए ट्रैफिक जाम के स्थानों पर भीड़ कम करना, यमुना के बाढ़ क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना, 'एक पेड़ माँ के नाम' के तहत 1 करोड़ पेड़ लगाने के लिए समय सीमा के साथ कार्य योजना, और सभी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में समय सीमा के अंदर ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसेम्स) और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) लगाने के लिए निधियों का त्वरित उपयोग किया जाना चाहिए।

दिल्ली एनसीटी को वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत महत्वपूर्ण अंतर वित्तपोषण प्रदान किया गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों को लागू करने के लिए, एनसीएपी केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों, जैसे कि अमरुत 1.0 और 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 और 2.0, फेम II और ग्रैंड चैलेंज योजना के माध्यम से संसाधनों के जुटाव का भी लाभ उठाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने जानकारी दी है कि उन्होंने इस निधि का उपयोग करते हुए 14 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदने, सड़कों को पूरी तरह से पक्का करने और गड्ढों से मुक्त रखने, साथ ही 2.6 हेक्टेयर में फैले ट्रैफिक कॉरिडोर, खुले मैदानों, बगीचों, सामुदायिक स्थलों, स्कूलों और हाउसिंग सोसाइटियों में हरियाली लगाने के लिए कई काम शुरू कर दिए हैं, जो अलग-अलग स्तर पर चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि उन्होंने बीएस-VI सीएनजी से चलने वाली चार एंटी-स्मॉग गन और ऊँची इमारतों तथा सड़क सुधार कार्यों के लिए सात संशोधित एंटी-स्मॉग वाटर गन की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है।

'समीर' नाम का एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता पोर्टल और मोबाइल ऐप, लगभग वास्तविक समय के वायु गुणवत्ता डेटा और प्रति घंटे वायु गुणवत्ता सूचकांक को ट्रैक करने और जनता तक प्रसारित करने के लिए प्रचालनरत है। सीपीसीबी दिल्ली-एनसीआर सहित देश के विभिन्न शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को दर्शाते हुए प्रतिदिन शाम 4:00 बजे एक बुलेटिन जारी करता है। समीर ऐप एक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में भी काम करता है, जो नागरिकों को संबंधित एजेंसियों द्वारा त्वरित समाधान के लिए प्रदूषण संबंधी शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देता है।

एनसीएपी के अंतर्गत 130 लक्षित शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों की प्रगति की निगरानी और प्रबंधन के लिए 'प्राण'- 'मानक प्राप्त न होने वाले शहरों' में वायु प्रदूषण के नियमन हेतु पोर्टल' शुरू किया गया है।

समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप, दिल्ली में, 2016 के 110 अच्छे दिवसों की तुलना में 2025 में अच्छे दिवसों की संख्या (एक्युआआई<200) बढ़कर 200 दिन हो गई है। इस वर्ष एक्युआआई में समग्रतः सुधार हुआ है, और बहुत खराब दिन (एक्युआआई: 301-400) और गंभीर दिन (एक्युआआई 401 से अधिक) 2024 के 71 दिवसों से घटकर 2025 में 50 दिन हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 8 वर्षों में, 2018 से 2025 तक (2020 - कोविड लॉकडाउन को छोड़कर) सबसे कम औसत एक्युआआई दर्ज किया गया है।

****

अनुलग्नक I

21.11.2025 को सीएक्यूएम द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस प्लान (ग्रैप) में किए गए संशोधनों का विवरण

आयोग ने ग्रैप के कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:

क. **ग्रैप स्टेज II** के तहत वर्तमान में किए जा रहे निम्नलिखित उपाय, **ग्रैप स्टेज I** के तहत भी किए जाने हैं:

(1). वैकल्पिक बिजली उत्पादन सेट/उपकरण (डीजी सेट, आदि) के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें।

(2). यातायात की सुचारू गति के लिए चौराहों/यातायात भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात गतिविधियों को सिंक्रनाइज़ करें और पर्याप्त कर्मियों को तैनात करें।

(3) वायु प्रदूषण के स्तरों के बारे में सूचित करने और प्रदूषणकारी गतिविधियों को कम करने के लिए क्या करें और क्या न करें, इस बारे में लोगों को सलाह देने के लिए समाचार पत्रों / टीवी / रेडियो में अलर्ट जारी करें।

(4) अतिरिक्त बेड़े को शामिल करके और सेवा की आवृत्ति बढ़ाकर सीएनजी / इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाएं। गैर-व्यस्ततम अवधि में यात्रा (ऑफ पीक ट्रैवल) के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग दरें लागू करें।

ख. ग्रैप स्टेज III के तहत वर्तमान में किए जा रहे निम्नलिखित उपाय **ग्रैप स्टेज II** के तहत लिए जाएंगे:

(1). (i) जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए समय में बदलाव करेंगी।

(ii) राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए समय में बदलाव करने का निर्णय ले सकती हैं।

(2) केन्द्र सरकार, दिल्ली-एनसीआर में केन्द्र सरकार के कार्यालयों के समय में बदलाव करने के बारे में निर्णय ले सकती है।

ग. ग्रैप स्टेज IV के तहत वर्तमान में लागू निम्नलिखित उपाय ग्रैप स्टेज III के तहत भी लागू किए जाएंगे:

(1). एनसीआर राज्य सरकारें / जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने और शेष कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लें।

(2). केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती

******